राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक पं. 1(1)कार्मिक/क–2/13 जयपुर, दिनांक 29.10.15

विषयः–अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि कृपया संलग्न **राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013 में संशोधन हेतु अधिसूचना** (हिन्दी अनुवाद सहित) दिनांक **29.10.15** को राजस्थान के असाधारण राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. दिनांक **29.10.2015** में प्रकाशित कराये जानें की व्यवस्था हेतु अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्राधिकृत पत्र जारी करनें की व्यवस्था करें।

भवदीय,
(ओ.पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दिनांक **29.10.2015** को राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर में प्रकाशित कराये जानें हेतु प्रेषित है। कृपया अधिसूचना से संबंधित राजपत्र की तीन प्रतियां इस विभाग को भी उपलब्ध करानें की व्यवस्था करें।
2. सहायक शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को, मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या **154/2015** दिनांक 11.8.2015 एवं ज्ञापन क्रमांक प. 1(62)भापुवि/जय/संस्था/सेवा संवर्ग/606/2004 दिनांक 20.7.2015 के संदर्भ में।
3. प्रमुख शासन, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग।
4. निदेशक, भाष एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग को 9 अति0 प्रतियों के साथ।
6. विधि (संहिताकरण)/विधि पुस्तकालय/सहायक विधि प्रारूपकार (प्रारूपण)।
7. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, राजस्थान, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी:–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 25 प्रतियों के साथ।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा (अधीनस्थ विधान संबंधी समिति), जयपुर को 20 प्रतियों के साथ।
3. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जौधपुर/जयपुर/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. सम्पादक, शिविरा/सचिवालय संदेश/लेखाविज्ञ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
8. रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को 5 प्रतियों सहित।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अद्यतन लिपिक को 5 प्रतियों में।
7. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.1(1)कार्मिक/क–2/2013 जयपुर, दिनांक : 29.10.15

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य और अधीनस्थ) सेवा (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 5 का संशोधन**– राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 5 के विद्यमान खण्ड (ख) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ग) से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (खख) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(खख) राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के उपबन्धों के अनुसार भर्ती किये गये और 28 फरवरी, 2013 को भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में कार्यरत समस्त व्यक्तियों को, राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य और अधीनस्थ) सेवा (संशोधन) नियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर–भीतर सेवा के लिए विकल्प देना होगा और उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर उनके ऐसा करने में विफल रहने की दशा में, यह समझा जायेगा कि उन्होंने सेवा के लिए विकल्प दिया है।"

3. **नियम 33 का संशोधन** – उक्त नियमों के आंग्ल पाठ में नियम 33 के उप–नियम (1) के विद्यमान परन्तुक (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन मास से अनधिक की कालावधि के लिए नहीं भरेगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं भरेगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से

(ओ0पी0गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

53/2015

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.II)

No.F. 1(1)DOP/A-II/2013 Jaipur, Dated: 29.10.15

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Language and Library (State and Subordinate) Service Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Language and Library (State and Subordinate) Service (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 5.- After the existing clause (b) and before the existing clause (c) of rule 5 of the Rajasthan Language and Library (State and Subordinate) Service Rules, 2013, herein after referred to as the said rules, the following new clause (bb) shall be inserted, namely :-

"(bb) All the persons recruited in accordance with the provisions of the Rajasthan Educational Subordinate Service Rules, 1971 and who are working in Language and Library Department on 28 February, 2013, shall have to give an option for the service within a period of two months from the date of commencement of the Rajasthan Language and Library (State and Subordinate) Service (Amendment) Rules, 2015 and in case of their failure to do so within the period specified above, it shall be deemed that they have opted for the service."

3. Amendment of rule 7.- The existing clause (ii) and (iii) of sub-rule (1) of the rule 7 of the said rules, shall be substituted by following, namely:-

"(ii) Post upto pay scale number 11 (upto Pay Band PB-2 G.P.No.12) to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground, one of the dependents of a member of Armed Forces/Para Military Forces belonging to the State who dies on or after 1.4.99 in any defence operations including counter-insurgency operations and operations against terrorists.

(iii) Post upto pay scale number 9A (upto Pay Band PB-1 G.P.No.10) to be filled in by direct recruitment by appointing on

compassionate ground, one of the dependent of a member of Armed Forces belonging to the State, who died or was permanently incapacitated in war or any defence operations including counter insurgency operations and operations against terrorists during the period from 1.1.71 to 31.3.99.

subject to fulfillment of the educational qualifications and other service conditions prescribed under the relevant Service Rules and with the concurrence of Department of Personnel and the Rajasthan Public Service Commission if the post falls within the purview of the Commission."

4. Amendment of rule 27.- In existing first proviso to sub-rule (4) of rule 27 of the said rules, for the existing expression "deemed to be qualified", the expression "deemed to be disqualified" shall be substituted.

5. Amendment of rule 33.- In existing proviso (ii) to sub-rule (1) of rule 33 of the said rules, for the existing expression "whole-time-appointment for a period not exceeding three months", the expression "whole-time-appointment for a period exceeding three months" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor,

(O.P.Gupta)
Joint Secretary to the Government

53/2015